संख्या-15/2020/666/77-3-2020-01एम/19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2020

विषय- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-268/यूपीडा/08/147, दिनांक 03.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट एवं प्रथम/द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना- 24-वृहद निर्माण कार्य"के अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 211.46 करोड़ में से धनराशि रू0 23.41 करोड (रूपये तेइस करोड इक्तालिस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

(1) उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में रखी जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दि0 22.03.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2019/बी-2-665/दस-2019-244(द्वितीय)/2019दिनांक 26.12.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक ''5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना -24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या - 15/2020/666(1)/77-3-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।